# राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में धनराशि के उपयोग के लिए दिशा निर्देश

## ''गन्ना शोध परिषद द्वारा संचालित योजनाए''

### 1– अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम

### (अ) कृषकों/संस्थान का चयन

I. यू0पी0सी0एस0आर0 द्वारा गन्ना शोध केन्द्रों के फार्म।

II. उन्नतिशील/साक्षर/साधन सम्पन्न कृषकों का चयन किया जायेगा।

III. किसानों के खेतो का चयन शोध केन्द्रों के निकट ग्रामों में क्लस्टर (समूह) के रूप में किया जायेगा।

### (ब) रख–रखाव/पर्यवेक्षण

I. अभिजनक बीज उत्पादन फील्ड पर बोर्ड लगेगा, जिसे गन्ना शोध परिषद/केन्द्र द्वारा स्थापित किया जायेगा।

II. वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सतत निरीक्षण किया जायेगा।

III. कृषकों के प्रक्षेत्र पर अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन के बीज प्रमाणीकरण के लिए एक टीम गठित की जायेगी, जिसमें एक ब्रीडर, पैथोलोजिस्ट एवं इन्टोमोलोजिस्ट के साथ सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी रखे जायेगे। इस प्रकार पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी उ0प्र0 के लिए अलग–अलग कुल तीन टीमें गठित की जायेगी। यदि वैज्ञानिक उपलब्ध नहीं होते हुए तो संविधा आधार पर वैज्ञानिक रखे जायेगे ताकि बीज गन्ना गुणवत्ता को मानको के अनुरूप बनाये रखा जाये।

IV. सम्बन्धित मण्डल के उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिमाह तथा गन्ना आयुक्त के स्तर पर त्रेमासिक समीक्षा की जायेगी।

V. अभिजनक बीज उत्पादक कृषकों की सूची गन्ना शोध परिषद तथा गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, गन्ना शोध परिषद का होगा।

VI. कुल अभिजनक बीज गन्ना क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत अभिजनक बीज गन्ना पौधशालायें शरदकाल एवं 75 प्रतिशत पौधशालायें बसन्तकाल में स्थापित की जायेगी।

VII. पौधशाला धारकों को अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार पौधशाला धारकों का उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर पर पौधशालाओं के रख–रखाव के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

### (स) अनुदान भुगतान प्रक्रिया

I. बीज प्रमाणीकरण उपरान्त अधोहस्ताक्षरी के आवंटन अनुसार बीज वितरण पर 100 रू0 प्रति कुन्तल की दर से कृषक/संस्था को एकाउन्ट पेई चैक/एडवाइस के माध्यम से धनराशि देय होगी।

II. जनपद की औसत उपज के आधार पर देय अनुदान का 50 प्रतिशत पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि हेतु दिया जायेगा शेष बीज वितरण होने पर देय

होगा।

## ''गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाए''

### 1– आधार पौधशाला अधिष्ठापन–

**(अ) कृषकों का चयन**

I. साक्षर/साधन सम्पन्न/प्रगतिशील/नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हो।

II. चीनी मिल के गेट/गन्ना विकास परिषद के ग्रामों में सड़क के किनारे स्थित प्लाट।

III. प्रति कृषक को अधिकतम 25 कु0 अभिजनक गन्ना बीज पौधशाला स्थापित करने हेतु देय होगा।

IV. अनुसूचित जाति/जनजाति की 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।

V. एक समिति सदस्य के यहां अधिकतम 2 वर्ष तक पौधशाला रखी जायेगी।

VI. कृषकों के चयन के लिए इस वर्ष समचार पत्रों विज्ञापन देकर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जायेगें। निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले कृषकों को ही चयनित किया जायेगा।

VII. कृषकों की बाध्यता होगी कि वे बीज का वितरण अनिवार्य रूप से करेगे यदि पूर्व में किसी योजनान्तर्गत सम्बन्धित प्लाट पर अनुदान दिया गया हो तो उसे समायोजन के पश्चात् ही इस योजना के अन्तर्गत अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

VIII. लाभार्थियों का चयन चीनी मिल, विभागीय अधिकारी तथा गन्ना विकास परिषद द्वारा किया जायेगा व अनुमोदन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

**(ब) रख–रखाव/पर्यवेक्षण**

I. पौधशाला का निरीक्षण निम्नानुसार निरीक्षण पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा निरीक्षण टिप्पणी सर्वसम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी :–

| | |
|---|---|
| गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा | पक्ष में एक बार |
| ब्लाक प्रभारी द्वारा | माह में एक बार |
| ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा | दो माह में एक बार |
| जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा | वर्ष में तीन बार |
| क्षेत्रीय उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा | परिक्षेत्र में स्थापित कुल आधार पौधशाला का 10 प्रतिशत |

II. **आधारीय बीज का प्रमाणीकरण–** बीज उत्पादन अधिकारी/जिला गन्ना अधिकारी द्वारा बुआई प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व किया जायेगा।

III. आधार पौधशाला क्षेत्र पर बोर्ड (3.0 X 2.0 वर्ग फीट) लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा। बोर्ड पर निम्न सूचनाओं का अल्लेख किया जायेगाः–

1. योजना का नाम व वर्ष
2. नाम गन्ना विकास परिषद
3. पौधशाला का प्रकार
4. नाम पौधशाला धारक
5. नाम गन्ना प्रजाति
6. बुवाई की तिथि

**(स) अनुदान भुगतान प्रक्रिया :–**

I. पौधशाला धारक का बीज वितरण पर 50 रू0 प्रति कु0 अधिकतम 12500.00 रू0 अनुदान देय होगा।

II. अनुदान बीज वितरण एवं प्रमाणीकरण के उपरान्त किया जायेगा।

III. यदि पौधशाला धारक द्वारा उत्पादित गन्ना बीज का वितरण विभागीय नियमुसार नहीं किया जाता है तो दिए गये अनुदान की एकमुश्त वसूली करली जायेगी।

IV. पौधशाला धारको की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबवाइट पर डाली जायेगी।

**2– प्राथमिक पौधशाला अधिष्ठापन**

**(अ) कृषकों का चयन**

I. साक्षर/साधन सम्पन्न/प्रगतिशील/नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हो।

II. चीनी मिल क्षेत्र के ग्रामों में सड़क के किनारे स्थित प्लाट।

III. प्रति कृषक को अधिकतम 50 कु0 आधारीय गन्ना बीज पौधशाला स्थापित करने हेतु देय होगा।

IV. अनुसूचित जाति/जनजाति की 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।

V. एक समिति सदस्य के यहां अधिकतम 2 वर्ष तक पौधशाला रखी जायेगी।

VI. पौधशाला के कृषकों का चयन सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल द्वारा संयुक्त रूप से शरदकालीन बुवाई हेतु 15 सितम्बर तथा बसन्त कालीन बुवाई 15 जनवरी तक करके परिषद बोर्ड से प्रस्तावित कराकर अन्तिम चयन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

**(ब) रख–रखाव/पर्यवेक्षण**

I. पौधशाला का निरीक्षण निम्नानुसार निरीक्षण पंजिका पर अंकित किया जायेगा तथा निरीक्षण टिप्पणी सर्वसम्बन्धित को प्रेषित की जायेगी :–

| | |
|---|---|
| गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा | पक्ष में एक बार |
| ब्लाक प्रभारी द्वारा | माह में एक बार |
| ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा | दो माह में एक बार |

| | | |
|---|---|---|
| | जिला गन्ना अधिकारी द्वारा | जिले में स्थापित कुल प्राथमिक पौधशाला का 10 प्रतिशत |
| II. | प्राथमिक बीज का प्रमाणीकरण :– | ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा बुआई प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व किया जायेगा। |

III. प्राथमिक पौधशाला प्लाट पर बोर्ड लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा।

**(स) अनुदान भुगतान प्रक्रिया**

I. पौधशाला धारक का बीज वितरण पर 50 रू0 प्रति कु0 अधिकतम 12500.00 रू0 अनुदान देय होगा।

II. पौधशाला की बुवाई के समय कृषि निवेश (यथा बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) के रूप में जिले की औसत उपज को आधार मानकर देय अनुदान का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा शेष अनुदान बीज वितरण पूर्ण होने पर एकाउन्ट पेई चैक/एडवाइस के माध्यम से देय होगा।

III. अनुदान का भुगतान प्रमाणीकरण के पश्चात किया जायेगा।

IV. यदि पौधशाला धारक द्वारा उत्पादित गन्ना बीज का वितरण विभागीय नियमानुसार नहीं किया जाता है तो दिए गये अनुदान की एकमुश्त वसूली करली जायेगी।

V. पौधशाला धारको की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबवाइट पर डाली जायेगी।

## बीज गन्ना प्रक्षेत्र का निरीक्षण (Field Inspection)

## (दोनों प्रकार की पौधशालाओं के लिए)

**स्टेज प्रथमः–** पंजीकरण के तत्काल पश्चात।

**स्टेज द्वितीयः–** बीज गन्ना बुवाई के 120–130 दिन बाद। इस निरीक्षण के समय विजातीय पौधे **(Offtypes),** प्रमुख बीमारियों, कीटों के प्रकोप एवं अन्य कारकों पर ध्यान दिया जायेगा।

**स्टेज तृतीयः–** बीज गन्ना फसल कटाई के 15 दिन पूर्व। इस निरीक्षण के समय बीज गन्ने की अवधि, विजातीय पौधे **(Offtypes),** प्रमुख बीमारियों, कीटों के प्रकोप एवं अन्य कारकों पर ध्यान दिया जायेगा।

## आधारीय एवं प्राथमिक बीज गन्ने का प्रमाणीकरण

प्रमाणीकरण के समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगाः–

1. बीज गन्ना फसल **(Seed Cane Crop)** कटाई के समय फसल की अवधि यथासम्भव 08 से 10 महीना होना चाहिए।

2. बीज गन्ना के प्रत्येक गॉठ **(Node)** में स्वस्थ आँख **(Bud)** होना चाहिए। ऐसी गॉठें जिन पर स्वस्थ आँख का अभाव हो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. बीज गन्नें की आँखों में जडें विकसित नहीं होना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम् 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

4. बीज गन्ना में कम से कम 65 प्रतिशत नमीं होना चाहिए।

## प्रमाणीकरण के विशिष्ट मानक

| क्र0सं0 | कारक | फील्ड इंस्पेक्शन का स्टेज | अधिकतम अनुमन्य सीमा (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आधार | प्राथमिक |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | अनुवांशिक शुद्धता | | 100 | 100 |
| 2. | भौतिक शुद्धता | | 98 | 98 |
| 3. | आँख जमाव क्षमता | | कम से कम 85 | कम से कम 85 |
| 4. | प्रमुख रोग | | | |
| | काना (Red Rot) | I,II, III, | कुछ नहीं (None) | कुछ नहीं (None) |
| | कण्डुआ (Smut) | I, | 0.02 | 0.10 |
| | | II, | 0.01 | 0.10 |
| | | III, | कुछ नहीं (None) | कुछ नहीं (None) |
| | उकठा (Wilt) | III, | 0.01 | 0.01 |
| | जी.एस.डी. (Grassy shoot) | II, | 0.05 | 0.50 |
| | | III, | कुछ नहीं (None) | कुछ नहीं (None) |
| | लीफ स्काल्ड (Leaf Scald) | II, | 0.01 | 0.05 |
| | | III, | कुछ नहीं (None) | कुछ नहीं (None) |
| 5. | प्रमुख कीट | | | |
| | चोटी बेधक (Top borer) | II & III | 5.0 | 5.0 |
| | शल्क कीट (Scale Insect) | III, | 5.0 | 5.0 |
| | तना बेधक (Stalk borer) | III, | 20.0 | 20.0 |
| | गुरदरसपुर बेधक (Gurdaspur borer) | III, | 5.0 | 5.0 |
| | मीली बग (Mealy bug) | III, | 5.0 | 5.0 |
| | इन्टर नोड बोरर (Internode borer) | III, | 10.0 | 10.0 |

उपरोक्त मानको के अनुसार बीज के प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत होगेः–

**क्र0 पौधशाला का नाम प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत अधिकारी**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आधार पौधशाला | जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी |
| 2 | प्राथमिक पौधशाला | ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक |

प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हेतु ग्रामवार/कृषकवार पौधशालावार तिथियों निर्धारित की जायेगी तथा उसकी सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सम्बन्धित गन्ना कृषक, सम्बन्धित चीनी मिल, जिला गन्ना अधिकारी एवं उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त को दी जायेगी। प्रमाणीकरण के समय सम्बन्धित गन्ना कृषक के हस्ताक्षर कराये जायेगे तथा प्रमाणीकरण अधिकारी स्वयं भी हस्ताक्षर करगे, जो पौधशाला उक्त मानकों के अनुसार न हो उसका प्रमाणीकरण नहीं किया जायेगा।

**3– बीज यातायातः–**

I. शोध केन्द्र/कृषकों के फार्म पर उत्पादित अभिजनक बीज के यातायात हेतु क्रेता आधार पौधशाला धारक अथवा गन्ना विकास परिषद को 15 रू0 प्रति कु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो तथा आधारीय बीज के यातायात हेतु क्रेता प्राथमिक पौधशाला धारक को 7 रू0 प्रति कु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो यातायात अनुदान देय होगा।

II. यातायात अनुदान की धनराशि क्रेता कृषक/गन्ना विकास परिषद को गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के बीज वितरण प्रमाण पत्र के उपरान्त जिला गन्ना अधिकारी के अनुमोदन से चैक/एडवाइस के माध्यम से देय होगा।

III. अभिजनक एवं आधारीय बीज का सीड मूवमेन्ट प्लान शरद कालीन बुवाई हेतु 15 सितम्बर तक एवं बसंत कालीन बुवाई हेतु 15 जनवरी तक तैयार किया जायेगा।

**4– कृषि यन्त्रों पर अनुदान**

I. मानव चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 500 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

II. पशु चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

III. शक्ति चालित यन्त्र की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम् 30000 रू0 प्रति यन्त्र अनुदान देय होगा।

IV. मानव चालित यन्त्रों में स्प्रेयर, डसटर, हैंडहो, पशुचालित यन्त्रों में हैरो, कल्टीवेटर, मिटटी पलटने वाला यन्त्र, शक्ति चालित यन्त्रों में हैरो कल्टीवेटर डिस्क पलाव आदि यन्त्र सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त आर0एम0डी0 (रैटून मैनेजमेन्ट डिवाइस) ट्रैन्च ओपनर, एफ0आई0आर0बी0 पावर स्प्रेयर, रोटावेटर एवं गन्नें की खेती में प्रयुक्त होने वाले अन्य यन्त्र भी वितरित किए जा सकते है।

V. यन्त्र आई0एस0आई0/आई0आई0एस0आर0, लखनऊ/यू0पी0सी0एस0आर0, शाहजहॉपुर / कृषि विभाग, उ0प्र0 राजय में स्थित कृषि विश्व विद्यालयों के अभियंत्रिकी विभाग तथा F M T T I भारत सरकार से प्रमाणित होना चाहिए।

**(अ) कृषक चयन का आधार**

I. गन्ना समिति का सदस्य हो।

II. नियमित गन्ना आपूर्ति करता हो।

III. यन्त्र क्रय हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेद किया गया हो। आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट –01 पर संलग्न है।

IV. महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाये।

**(ब) अनुदान भुगतान प्रक्रिया**

I. यन्त्रो पर देय अनुदान का भुगतान उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध के आधार पर किया जायेगा तथा उसी दर के अनुसार अनुदान देय होगा ।

II. जो यन्त्र दर अनुबन्ध पर उपलब्ध नहीं है उनहे यू0पी0एग्रो/यू0पी0एस0आई0सी0 से क्रय किया जायेगा। इन संस्थाओं से अनुपलब्धता की स्थिति में निर्माता कम्पनियों के टेन्टर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कराकर रेट अन्तिम किये जायेगे। तत्पश्चात् यन्त्र की खरीद कृषकों की मांग पर गन्ना समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार की जायेगी तथा अनुदान की धनराशि का समायोजन करते हुए कृषकों को यन्त्र का वितरण कराया जायेगा।

III. कृषकों का यचन गन्ना समिति द्वारा किया जायेगा।

IV. टेन्डर कमेटी निम्न प्राकर होगीः–

| | | |
|---|---|---|
| मण्डलायुक्त | – | अध्यक्ष |
| संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त | – | सदस्य/सचिव |
| मंडल के दो जिला गन्ना अधिकारी | – | सदस्य |
| उद्योग विभाग के मण्डलीय अधिकारी | – | सदस्य |
| एग्रो के मण्डलीय अभियन्ता | – | सदस्य |

V. अनुदान का भुगतान सत्यापन के पश्चात जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

VI. यन्त्र आपूर्ति हेतु संस्तुति करते समय जिला गन्ना अधिकारी इस आशय की सुस्पष्ट आख्या देगे कि लाभान्वित संस्था के पास उक्त मद में अनुदान की धनराशि उपलब्ध है, जिसके अपयोग हेतु यन्त्रों के क्रय हेतु संलग्न विवरणानुसार समिति प्रस्ताव सहित संस्तुति की जाती है। उक्त संस्तुति के क्रम में क्षेत्रीय उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त की नियमानुसार स्वीकृत उपरान्त सम्बन्धित संस्था द्वारा यन्त्रों का क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा।

**5– क्षेत्र प्रदर्शन**

**(अ) कृषक चयन का आधार**

I. साक्षर/साधन सम्पन्न/प्रगतिशील/नियति गन्ना आपूर्तिकर्ता समिति सदस्य हो।

II. गन्ना समिति का पुरना बकायादार न हो।

III. अनुसूचित जाति/जनजाति की 21 प्रतिशत भागीदारी होगी।

IV. एक समिति सदस्य के परिवार में एक ही प्रदर्शन स्थापित कराया जायेगा जिसे प्रतिवर्ष बदल दिया

जायेगा।

V. प्रदर्शन कलस्टर के रूप में स्थापित किये जायेगे।

VI. प्रदर्शन यथासम्भव सड़क के किनारे स्थापित कराये जायेगें ताकि इनको देखकर अन्य कृषक प्रेरणा ले सकें।

VII. इस योजना में प्रतिभाग करने हेतु समचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन किया जायेगा। इस योजना मे मानक पूर्ण करने वाले कृषकों को ही पंजीकृत किया जायेगा। गन्ना प्रदर्शन प्लाट पर पूर्व में दिए गये अनुदान की धनराशि को समयोजित करने के पश्चात् इस योजना से अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

VIII. चयन चीनी मिल, गन्ना विकास परिषद तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

**(ब) अनुदान भुगतान की प्रक्रिया**

I. प्रदर्शन का क्षेत्रफल 0.500 हे0 होगा।

II. अनुसूचित जाति/जनजाति के यहां 0.200 हे0 पर भी प्रदर्शन स्थापित कराया जा सकता है।

III. 0.500 हे0 के प्रदर्शन पर 15000.00 रू0, अनुसूचित/जनजाति के 0.200 हे0 प्रदर्शन पर 6000.00 रू0 का अनुदान देय होगा।

IV. प्रदर्शन के अनुदान का 50 प्रतिशत पंजीकरण के तुरन्त बाद तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि प्रदर्शन सफल होने के बाद देय होगा।

V. प्रदर्शन का गन्ना फसल कटाई प्रयोग निश्चित रूप से कराया जायेगा तथा जनपद की औसत उपज से प्रदर्शन प्लाट की कम से कम 25 प्रतिशत अधिक उपज प्राप्त होने पर ही शेष अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। यदि उपरोक्तानुसार प्रदर्शन की उपज प्राप्त नहीं होती है तो दिये गये अनुदान की धनराशि प्रदर्शन धारक से एकमुश्त वसूल कर ली जायेगी।

VI. अनुदान की धनराशि एकाउन्ट पेई चैक/एडवाइज के द्वारा देय होगी।

VII. प्रदर्शन धारकों की सूची विभागीय व चीनी मिल वेबसाइट पर डाली जायेगी।

**(स) रख रखाव/पर्यवेक्षण**

I. इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रदर्शन स्थापित कराये जायेगें।

(अ) सम्पूर्ण पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज पौधा।

(ब) पेडी प्रदर्शन द्वितीय एवं तृतीय।

(स) मिश्रित खेती

(द) एकीकृत पोषक तत्व प्रबन्धन

(य) ट्रैंच विधि से प्रदर्शन

(र) एकीकृत कीट रोग प्रबन्धक

(ल) गन्ना प्रजातीय प्रदर्शन

II. प्रदर्शन की बुवाई में स्वीकृत प्रजाति के प्रमाणीकृत बीज का प्रयोग किया जायेगा तथा उत्पादित बीज (पेडी को छोड़कर) को प्रमाणीकरण उपरान्त कृषकों में बुवाई हेतु वितरित किया जा सकता है।

III. प्रदर्शन का निरीक्षण निम्नानुसार निरीक्षण पंजिका पर किया जायेगा।

| | |
|---|---|
| गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा | पक्ष में एक बार |
| ब्लाक प्रभारी द्वारा | माह में एक बार |
| ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा | दो माह में एक बार |
| जिला गन्ना अधिकारी द्वारा | वर्ष में दो बार |
| क्षेत्रीय उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त द्वारा | परिक्षेत्र में स्थापित कुल प्रदर्शन का 10 प्रतिशत |

IV. ब्लाक प्रभारी/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के द्वारा कीट व रोग की रोकथाम हेतु सुझााव प्रदश्न पंजिका में अंकित किये जायेगे।

V. प्रदर्शन प्लाट पर बोर्ड (3.0 X 2.0 वर्ग फीट) लगाया जायेगा, जिसका व्यय कान्टिनजेन्सी/गन्ना विकास परिषद के बजट से किया जायेगा। बोर्ड पर निम्न सूचनाओं का उल्लेख किया जायेगाः–

1. योजना का नाम व वर्ष
2. नाम गन्ना विकास परिषद्
3. प्रदर्शन का प्रकार
4. नाम प्रदर्शन धारक
5. नाम गन्ना प्रजाति
6. बुवाई की तिथि

## 6– सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रोन्यूट्रियन्ट) वितरण

I. सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति हेतु माइक्रोन्यूट्रियन्ट के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1000 रू0 प्रति हैक्टेयर अनुदान देय होगा।

II. माइक्रोन्यूट्रियन्ट उद्योग निदेशक के दर अनुबन्ध, यू0पी0 एग्रो/उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, कृषि निदेशक की अनुबन्ध दर पर, गन्ना समितियों के गोदामों पर आपूर्ति कराया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा माइक्रोन्यूट्रियन्ट की सैम्पलिंग की जायेगी सैम्पुल/नमूना श्री राम लैबोरेट्री, नई दिल्ली/राज्य सराकर द्वारा अधिकृत लैबोरेट्री में परीक्षण हेतु भेजा जायेगा। परीक्षणोपरान्त प्राप्त मानक परिणाम के अनुसार किसानों में वितरण कराया जायेगा। वितरण उन्हीं कृषकों को किया जायेगा जिसकी संस्तुति संबन्धित गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल के गन्ना पर्यवेक्षक, गोदाम प्रभारी एवं ब्लाक प्रभारी के अनुमोदन पर गन्ना विकास परिषद द्वारा किया जायेगा।

III. अनुदान की धनराशि माइक्रोन्यूट्रियन्ट के वितरण के समय ही दी जायेगी।

**7– मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Lab) की स्थापना**

I. मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 20.00 ला0 रू0 का अनुदान चीनी मिल को देय होगा।

II. प्रयोगशाला की स्थापना हेतु आवश्यक संयनत्रों की खरीद पर ही अनुदान देय होगा।

III. मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त द्वितीयक पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच की व्यवस्था की जायेगी।

IV. भवन, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री चीनी मिल निःशुल्क उपलब्ध करायेगी, जो इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

V. मृदा परीक्षण कराने वाले कृषकों से मुख्य पोषक तत्व (एन0पी0के0) द्वितीय पोषक + सूक्ष्म पोषक तत्व कृषि विभाग द्वारा प्रचलित दरो के अनुसार देय होगी।

VI. गन्न समिति/परिषद की आर्थिक स्थिति के अनुसार सम्बन्धित प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव के क्रम में कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले मृदा परीक्षण शुल्क को सम्बन्धित संस्थायें वहन कर सकती है।

VII. चीनी मिल से यह अनुबन्ध कराया जायेगा कि भविष्य में विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उनके द्वारा मृदा परीक्षण किया जायेगा तथा प्रयोगशालाए संचालित रखी जायेगी। विभागीय निर्देशों का पालन न करने पर अनुदान की धनराशि भू–राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी। परीक्षणोपरान्त उनके द्वारा कृषकों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड ( Soil Health Card) उपलब्ध कराया जायेगा।

VIII. अनुदान दिये जाने से पूर्व भुगतान की संस्तुति निदेशक, शोध परिषद, अपर गन्ना आयुक्त (विकास) तथा सहकारी चीनी मिलें के मुख्य रसायनज्ञ, जिला गन्ना अधिकारी तथा उप निदेशक कृषि की कमेटी द्वारा प्रयोगशाला के निरीक्षण के पश्चात् किया जायेगा।

**8– प्रशिक्षणः–**

**(अ) राज्य स्तरीय–**

I. प्रदेश मुख्यालय पर स्थापित गन्ना किसान संस्थान के द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जायेगा।

II. इस सत्र में तीस विभागीय/चीनी मिल प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

III. रू0 20000.00 प्रति प्रशिक्षण सत्र अनुदान गन्ना किसान संस्थान को देय होगा।

**(ब) कृषक प्रशिक्षणः–**

I. क्षेत्रीय गन्ना किसान संस्थान के द्वारा 100 कृषकों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

II. निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण का वार्षिक रोस्टर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास

निरीक्षकों एवं चीनी मिलों की संयुक्त बैठक में तैयार कर सर्वसम्बन्धित को प्रेषित किया जायेगा।

III. प्रति प्रशिक्षण 12500.00 रू0 का अनुदान गन्ना किसान संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

IV. प्रशिक्षण में व्यय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत निम्नानुसार किया जायेगाः–

| | | |
|---|---|---|
| 1:– | वैज्ञानिको का मानदेय (तीन वैज्ञानिको के लिए 500.00 रू0 प्रति) | रू0 1,500.00 |
| 2:– | चाय व भोजन (55.00 रू0 प्रति) | रू0 5,500.00 |
| 3:– | वीडियोग्राफी | रू0 500.00 |
| 4:– | स्टेशनरी (15 रू0 प्रति) | रू0 1,500.00 |
| 5:– | आकस्मिक व्यय | रू0 500.00 |
| 6:– | कुर्सी, टेन्ट, माईक | रू0 3000.00 |
| | **योग** | **12500.00** |

V. उपरोक्तानुसार अनुदान की धनराशि का समायोजन संबंधित ज्येष्ट गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा।

VI. वीडियों ग्राफी की सी0डी0 की एक–एक प्रति मुख्य प्रचार अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सहायक निदेशक का होगा।

**9– प्रचार–प्रसारः–**

**(अ) जिला स्तरीय गन्ना किसान मेलाः–**

1:– शरद कालीन तथा बसन्त कालीन बुवाई से पूर्व जिले में चीनी मिल गेट/सार्वजनिक स्थल पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जायेगा, स्थल एवं तिथि का निर्धारण जिला गन्ना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2:– मेले में कृषकों को शिक्षित करने हेतु वैज्ञानिकों को आमन्त्रित किया जायेगा तथा आधुनिक कृषि उपकरणों/यन्त्रों का प्रदर्शन एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु साहित्य का वितरण किया जायेगा।

3:– प्रति मेला रू0 1.00 लाख का अनुदान देय होगा।

4:– मेले के आयोजन की वीडियोग्राफी की सी0डी0 की एक–एक प्रति मुख्य प्रचार अधिकारी व क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी को प्रेषित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी का होगा।

**(ब) आकाशवाणी व दूरदर्शन :–**

मुख्यालय स्तर पर मुख्य प्रचार अधिकारी लखनऊ के स्तर से स्पाट कार्यक्रम निर्धारित किये जायेगे। इस मद में उपलब्ध धनराशि का उपयोग गन्ना आयुक्त के अनुमोदन उपरान्त सम्बन्धित संस्था को देय होगा।

**(स) उत्पादकता पुरूस्कारः–**

1:– कृषकों को जिला, मण्डल/परिक्षेत्र, राज्य स्तर पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिये जायेगें।

2:– प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार की धनराशि निम्न प्रकार हैः–

| क्र0सं0 | स्तर | पुस्कार की धनराशि रू0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | योग |
| 1. | जिला | 15000.00 | 10000.00 | 7500.00 | 32500.00 |
| 2. | मण्डल | 25000.00 | 15000.00 | 12500.00 | 52500.00 |
| 3. | राज्य | 50000.00 | 35000.00 | 25000.00 | 110000.00 |

**(द) कृषक चयन एवं अनुदान भुगतान प्रक्रिया :–**

1– गन्ना समिति का नियमित गन्ना आपूर्तिकर्ता सदस्य हो।

2– गन्ना समिति का पुराना बकायादार न हो।

3– कृषक के चयनित प्लाट का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.200 है0 हो जिसमें स्वीकृत प्रजाति का गन्ना बोया गया हो।

4– कृषक द्वारा निर्धारित समयावधि (15 सितम्बर तक) में संबंधित गन्ना विकास परिषद में आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जमा कर भरा गया हो। जिले के लिये निर्धारित प्रवेश फार्म शुल्क रू0 150.00 मण्डल के लिये रू0 250.00 तथा राज्य के लिये रू0 500.00 प्रति कृषक होगा।

5– गन्ना समिति में एक परिवार का एक ही सदस्य किसी एक पुरस्कार हेतु इस योजना में शामिल हो सकता है।

6– पुरस्कार हेतु चयनित प्लाट की कटाई विभागीय प्रक्रिया के अनुसार करायी जायेगी।

7– स्वीकृत प्रजाति के पौधे गन्ने की कटाई उपरान्त सम्बन्धित स्तर पर प्राप्त अधिकतम उपज के आधार पर पुरस्कार का वितरण किया जायेगा।

8– कटाई प्रोग्राम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

1:– जिला स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम – जिला गन्ना अधिकारी द्वारा

2:– मण्डल स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम – संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त द्वारा

3:– राज्य स्तर के प्राप्त समस्त प्रवेश फार्म का कटाई प्रोग्राम – गन्ना आयुक्त द्वारा

9:– पुरस्कारों का निर्धारण करने हेतु निम्नानुसार कमैटी गठित की जायेगी।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– जिला स्तर | – | अध्यक्ष | – जिलाधिकारी |
| | | सदस्य | – जिला कृषि रक्षा अधिकारी |
| | | सदस्य | – जनपद का वरिष्ठतम ज्ये0 गन्ना विकास निरीक्षक |
| | | सदस्य/सचिव | – जिला गन्ना अधिकारी |
| 2– मण्डल स्तर | – | अध्यक्ष | – मण्डलायुक्त |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सदस्य/सचिव | – | संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त |
| | सदस्य | – | क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी |
| | सदस्य | – | उप/संयुक्त निदेशक (कृषि रक्षा) |
| 3– राज्य स्तर | – अध्यक्ष | – | गन्ना आयुक्त |
| | सदस्य | – | अपर गन्ना आयुक्त (विकास) |
| | सदस्य/सचिव | – | मुख्य प्रचार अधिकारी |

**10 (अ)– प्रसार कार्मिकों को प्रोत्साहन**

प्रसार कार्मिकों को प्रोत्साहन धनराशि के वितरण का आधार निम्नवत् होगाः–

1. पौधशाला अधिष्ठापन (लक्ष्य के सापेक्ष)
2. प्रदर्शन अधिष्ठापन (लक्ष्य के सापेक्ष)
3. पौधशाला निरीक्षण (लक्ष्य के सापेक्ष)
4. प्रदर्शन निरीक्षण (लक्ष्य के सापेक्ष)
5. पौधशाला बीज वितरण (लक्ष्य के सापेक्ष)
6. प्रदर्शन उत्पादकता (लक्ष्य के सापेक्ष)
7. कृषि यंत्र वितरण संख्या/धनरशि (लक्ष्य के सापेक्ष)
8. मृदा नमूनों के संकलित करने की संख्या (लक्ष्य के सापेक्ष)
9. माइक्रो न्यूट्रियन्ट वितरण (कु0 में) एवं उपयोगित अनुदान (ला0रू0 में) (लक्ष्य के सापेक्ष)
10. उत्पादकता पुरस्कार हेतु भराये गये फार्मो की संख्या एवं उनके सापेक्ष कटाई

**10 (ब) प्रोत्साहन धनराशि–**

1. प्रत्येक गन्ना विकास परिषद स्तर पर चयनित गन्ना पर्यवेक्षकों (ग्राम स्तरीय कर्मचारी) को प्रथम पुरस्कार रू0 3000, द्वितीय पुरस्कार रू0 2000, तृतीय पुरस्कार रू0 1000 देय होगा।

2. जनपद स्तर पर चयनित गन्ना विकास निरीक्षको को प्रथम पुरस्कार रू0 5000, द्वितीय पुरस्कार रू0 4000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 3000 देय होगा।

3. जनपद स्तर चयनित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षको को प्रथम पुरस्कार रू 10000, द्वितीय पुरस्कार रू 7500 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 5000 देय होगा।

4. मण्डल स्तर चयनित जिला गन्ना अधिकारियों को प्रथम पुरस्कार रू0 25000, द्वितीय पुरस्कार रू0 20000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 15000 देय होगा।

5. राज्य स्तर पर चयनित उप/संयुक्त गन्ना आयुक्तों को प्रथम पुरस्कार रू0 40000, द्वितीय पुरस्कार रू0 30000 तथा तृतीय पुरस्कार रू0 25000 देय होगा।

6. राज्य स्तर पर अपर गन्ना आयुक्त (विकास/शोध एवं समन्वय)/प्रबन्ध निदेशक को प्रथम पुरस्कार रू0 40000 देय होगा।

**10 (स) पुरस्कार निर्धारण कमेटीः–**

**1) परिषद स्तरीय कमेटी–**

(अ) दो गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष

(ब) दो गन्ना समिति के अध्यक्ष

(स) दो चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक

(द) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

(य) जिला गन्ना अधिकारी

**2) जिला स्तरीय कमेटी–**

(अ) जिला गन्ना अधिकारी

(ब) जिला मुख्यालय के गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष

(स) जिले में स्थित किसी एक चीनी मिल का प्रधान प्रबन्धक

(द) जिले में कार्यरत समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक

(य) जिले में कार्यरत दो वरिष्ठतम् गन्ना विकास निरीक्षक

(र) जनपद में कार्यरत संगणक

**3) मण्डल स्तरीय कमेटी–**

(अ) उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त

(ब) मण्डल के समस्त जिला गन्ना अधिकारी

(स) मण्डल में स्थित गन्ना विकास परिषदों तथा गन्ना समिति के दो अध्यक्ष

1. **सघन गन्न विकास योजना –**

अ– जिला योजना के अन्तर्गत उन्नतशाी गन्ना बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम मे अधिष्ठापित पौधशालाओं पर प्रति है0 निम्नांकित दर से अनुदान दिया जाता है ।

| | | सामान्य कृषकों कों | अनुसूचित जाति /ज0जा0 के कृषकों को |
|---|---|---|---|
| 1. | आधार पौधशाला | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
| 2. | प्राथमिक पौधशाला | 500 रूपये | 1000 रूपये |

ब– **<u>बीज, भूमि उपचार एवं पेड़ी प्रबंध कार्यक्रम</u>** – इन कार्यक्रमों के तहत 2500 टी0सी0डी0 की क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रों मे 25 प्रतिशत तथा उसमें अधिक क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रों में 12.5 प्रतिशत राजकीय अनुदान दिया जाता है । साथ ही गन्ना विकास परिषदों द्वारा 10 प्रतिशत तथा उपलब्धता के आधार पर चीनी मिलों द्वारा 15 प्रतिशत को मिलाकर 2500 टी0सी0डी0 की क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रो मे 50 प्रतिशत तथा उससे अधिक क्षमता वाली चीनी मिल क्षेत्रों मे 37.5 प्रतिशत तक अनुदान सहकारी गन्न विकास समितियों के माध्यम से वितरित उपचारक रयायनों पर दिया जाता है ।

स– **<u>अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना</u>** – इस योजना मे 50 प्रतिशत राज्यांश व 50 प्रतिशत लाभान्वित संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रो मे संपर्क मार्गो का निर्माण कराया जाता है ।

2– **<u>ड्रिप इरीगेशन</u>** – जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग, 40 प्रपिशत पानी की बचत व जल उपयोग क्षमता मे वृद्वि के संबंध मे ड्रिप इरीगेशन पद्वति को पूरे विश्व मे जाना व माना जाता है । इस स्कीम मे 30 हजार रू0 प्रति है0 अनुदान दिया जाता ह।